विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-13/2020

मेसर्स हिन्द फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, — **आवेदक/अपीलार्थी**
प्लॉट नं0 1ए/8ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
ए0बी0 रोड, देवास — 455001 (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (यू0आर0),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

— **अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण**

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
देवास (म.प्र.) — 455001

आदेश

(दिनांक 20.12.2021 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक WO455720 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 से व्यथित होकर आवेदक/अपीलार्थी द्वारा (धारा 42(6) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत) यह अपील प्रस्तुत की है । विद्धवान फोरम द्वारा आवेदक के परिवाद को अस्वीकार कर एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के लिए आवेदक/अपीलार्थी को उत्तरदाई ठहराते हुए एम.ई. के मूल्य ह्मस को समायोजित करते हुए अवमूल्यित लागत की वसूली हेतु आदेशित किया गया ।

02. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन में यह व्यक्त किया था कि देवास स्थित फीडर क्रमांक 633 के.वी. का दिनांक 24.08.2019 को ब्रेक डाउन हो गया था । मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया कि उनकी कम्पनी के बाहर स्थित उक्त फीडर जम्पर के ब्रेक होने के कारण हुआ था । दिनांक 25.08.2019 को उनका जम्पर ब्रेक हुआ उस समय से उनके परिसर में लगे मीटर ने दोषपूर्ण कार्य करना प्रारंभ किया और दिनांक 24.08.2019 से वह विद्युत की कम खपत दर्शानें लगा । आवेदक/अपीलार्थी द्वारा विद्युत खपत को दैनिक रूप से दर्ज किया गया है । दिनांक 16.09.2019 मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास द्वारा एम.ई. का परीक्षण किया गया एवं जांच के बाद एम.ई. की एम.पी. के संबंध में मूल्य के वसूली हेतु आवेदक/अपीलार्थी को 1,97,343 रू0 का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मांग पत्र में यह उल्लेख किया है कि ''दिनांक 16.09.2019 को जांच के समय यह तथ्य उजागर हुआ कि टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक के बी फेज से करन्ट प्रवाहित नहीं हो रहा था एवं एम.ई. के सी.टी. का बी फेज खुला था, जिसके परिणामस्वरूप एम.ई. को क्षतिग्रस्त घोषित करते हुए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास को क्षतिग्रस्त एम.ई. का लागत मूल्य 1,97,343 रू0 की राशि वसूली हेतु ली गई एवं उन्हें मांग पत्र प्रेषित कर उक्त राशि तुरन्त अदा करने हेतु कहा गया। आवेदक/अपीलार्थी के पास कोई विकल्प न होने के कारण उसके द्वारा दिनांक 03.10.2019 को उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया । एम.ई. की मूल्य की यह वसूली म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए रेगुलेशन के विरूद्ध है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी एम.ई. का ह्रास मान्य मूल्य उसी स्थिति में वसूल किया जा सकता है जहां एम.ई. में आई त्रुटि के लिए उपभोक्ता को उत्तरदाई ठहराया जाए । वर्तमान प्रकरण में उपभोक्ता किसी प्रकार से एम.ई. में आए दोष के लिए उत्तरदाई नहीं है एवं उसे उत्तरदाई ठहराएं बिना एम.ई. के मूल्य की वसूली हेतु मांग पत्र पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध है, अतः उसे उक्त राशि वापस दिलाई जाएं ।

03. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, देवास के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में यह व्यक्त किया गया है कि मेसर्स हिन्द फिल्टर्स को 132 एच.पी. से निर्गमित 33 के.वी. औद्योगिक फीडर क्रमांक 6 पर विद्यमान है । दिनांक 24.08.2019 को 33 के.वी. फीडर 6 पर उपभोक्ता द्वारा दोपहर 2.00 बजे फाल्ट आने पर विद्युत प्रदाय अवरोध होने संबंधी सूचना दी थी जबकि वास्तव में दोपहर 3.00 बजकर 04 मिनिट पर फाल्ट आने के कारण विद्युत प्रदाय अवरूद्ध हुआ था । जम्पर किए जाने की सूचना उनके कार्यालय द्वारा फीडर क्रमांक 6 से संबंधित समस्त

उपभोक्ताओं को दूरभाष के माध्यम से दे दी गई थी । दिनांक 24.08.2019 से एम.ई. क्षतिग्रस्त दिनांक 16.09.2019 तक फीडर पर विद्युत प्रदाय सतत् रूप से बना रहे एवं इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत उनके कार्यालय में दर्ज नहीं कराई गई । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. का परीक्षण दिनांक 16.09.2019 को उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण की रिपोर्ट) दिनांक 18.09.2019 के आधार पर उपभोक्ता को रू. 1,97,343/– रू. का मांग पत्र जारी किया गया । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. की रिपोर्ट के आधार पर सी.टी. सर्किट ओपन होने पर एम.ई. की कास्ट उपभोक्ता से वसूल किए जाने हेतु कहे जाने पर उनके कार्यालय द्वारा एम.ई. की कास्ट उपभोक्ता से वसूल की गई है । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2019 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि क्षतिग्रस्त एम.ई. की कीमत उपभोक्ता से वसूल की जाए ।

04. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड उज्जैन द्वारा दिए गए उत्तर के प्रत्युत्तर में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009'' के अनुसार उपभोक्ता से क्षतिग्रस्त मीटर अथवा एम.ई. का मूल्य उसी स्थिति में वसूल किया जा सकता है जहां ऐसी क्षति के लिए उपभोक्ता की जिम्मेंदारी स्थापित कर दी जावे । वर्तमान प्रकरण में विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में उपभोक्ता की जिम्मेंदारी स्थापित किए बिना उससे एम.ई. का मूल्य वसूल किया गया है जो रेगुलेशन के विपरीत होने से विधि विरूद्ध है । इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन 12 के बिन्दु क्रमांक 4 एवं 6 के अनुसार 650 वोल्ट से अधिक विद्युत संधारण करने वाले विद्युत उपकरणों के इन्सुलेशन रेजिस्टेट के संधारण एवं ऑईल के ब्रेकडाऊन वेल्यु का निश्चित अंतराल में निरीक्षण किया जाना आवश्यक है जिसे एम.पी. के एमपीपक्षेविविकंलि द्वारा नहीं किया गया है । अपने प्रतिउत्तर में उपभोक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि निश्चित अन्तराल पर किए जाने वाले निरीक्षण के अभाव में सी.टी. का खुलना संभावित था । इसके अतिरिक्त एम.ई. के रख–रखाव के दौरान एम.ई. बुशिंग में एयर क्रेक एवं एयर आ जाने एवं सी.टी. टर्मिनेशन की निम्न गुणवत्ता होने के आधार पर भी सी.टी. का ओपन होना संभावित था । इन समस्त परिस्थितियों में उससे वसूल की गई 1,97,343/– रू. की राशि उसे वापस लौटाई जावें ।

05. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर के उत्तर में यह व्यक्त किया गया कि अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया था कि टी.टी.बी. के बी फेज में करन्ट प्रवाहित नहीं हो रहा था एवं एम.ई. के सी.टी. का बी फेज ओपन था ऐसी दशा में अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर टैस्टिंग) उज्जैन द्वारा एम.ई. को त्रुटिपूर्ण होना घोषित किया एवं इसी रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता से एम.ई. की कास्ट वसूल की गई है । अनावेदकगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि फीडर का रख–रखाव दिनांक 02.10.2016, 06.10.2016, 19.03.2017, 11.04.2017, 23.04.2017, 24.09.2017, 03.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 23.12.2018, 22.11.2018, 19.09.2018, 12.03.2019 को किया गया है । फीडर रख–रखाव के दौरान एम.ई. बुशिंग, एम.ई. के जम्पर एवं ऑईल लेवल चैक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं ।

06. उभयपक्षों के अभिकथनों, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर विद्वान विद्युत फोरम द्वारा एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के लिए आवेदक/अपीलार्थी को उत्तरदायी ठहराते हुए उससे एम.ई. की वास्तविक कीमत के स्थान पर ह्रासमान कीमत की अदायगी के लिए उत्तरदाई ठहराया गया है, जिससे व्यथित होकर आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

07. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में विद्युत फोरम द्वारा निकाले गए ऊपर वर्णित निष्कर्ष से असहमति दर्शातें हुए यह व्यक्त किया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के रेगुलेशन (रिवीजन–प्रथम) 2009 के अनुसार जले हुए मीटर या मीटरिंग उपकरणों की कीमत उसी अवस्था में उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है जहां उपभोक्ता का दायित्व भली–भांति स्थापित कर दिया गया हो । विद्वान फोरम द्वारा तकनीकी सिद्धान्त को लिखकर यह विश्वास कर लिया गया कि उनके परिसर में हुए किसी दोष के कारण एक फेज की सी.टी. टी.टी.बी. पर खुल गई थी । विद्वान फोरम द्वारा उनके परिसर में किसी त्रुटि को प्रमाणित किए बिना केवल अनुमान के आधार पर सी.टी. खुलने के लिए उसे उत्तरदाई ठहरा दिया गया है । मध्यप्रदेश पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा उन्हें यह सूचित किया था कि उनकी कम्पनी के बाहर स्थित फीडर के जम्पर के ब्रेक होने के कारण उक्त ब्रेक डाउन हुआ था । उसी दोष के कारण उनके मीटर का विद्युत खपत का 66 प्रतिशत खपत दर्ज होना दर्शाना प्रारंभ किया गया । आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा दैनिक विद्युत खपत का अभिलेख रखा जा रहा है जिसके अनुसार 24.08.2019 के 2.00 बजे से आर.एम.डी. ने 66 प्रतिशत विद्युत खपत दर्ज करना प्रारंभ किया था । आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है

कि उनके टी.टी.बी. के एक फेज की सी.टी. फाल्ट के समय यकायक उच्च वोल्टेज प्रवाहित किए जाने के कारण खुली थी । आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उनके परिसर में विद्युत का दोषपूर्ण प्रवाह मीटर के टी.टी.बी. के एक फेज के क्षति के लिए विभिन्न कारणों में से एक कारण हो सकता है किन्तु टी.टी.बी. के एक फेज को हुई क्षति के लिए इसे एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता है । अपने अपील मेमों में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा 5 ऐसी परिस्थितियां दर्शाईं गई है जो मीटर के टी.टी.बी. के एक फेज की क्षति के लिए जिम्मेंदार हो सकता है । विद्वान फोरम द्वारा उद्धृत किया गया सिद्धान्त एक जाना पहचाना सिद्धान्त है किन्तु यदि समस्त मीटर/एम.ई. के फैल्यर के लिए केवल इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया जावे तो विद्वान म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को इन शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि ''जले हुए मीटर या मीटरिंग उपकरणों की कीमत की वसूली उपभोक्ता से उसी स्थिति में की जावेगी जहां उसके उत्तरदायित्व को भली–भांति स्थापित कर दिया जावें ।'' इन परिस्थितियों में आवेदक/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रतिअपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा उससे वसूल की गई 1,97,343/– रू0 की सम्पूर्ण राशि वापस दिलवाई जाएं ।

08. प्रति–अपीलार्थी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपील याचिका के उत्तर में यह व्यक्त किया गया है कि माननीय फोरम द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष एवं पूर्णतः सही है । दिनांक 24.08.2019 को मेसर्स हिन्द फिल्टर्स के परिसर में स्थापित विद्युत उपकरणों एवं सर्किटरी में स्थापित फाल्ट के कारण एम.ई. की सी.टी. ओपन हुई जिसके कारण फीडर का जम्पर जला जिससे यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता परिसर में फाल्ट आने के कारण ही एम.ई. की बी फेज की सी.टी. ओपन हुई । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. के संबंध में की गई जांच के उपरान्त 16.12.2019 के पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया गया कि उपभोक्ता परिसर में फाल्ट आने के कारण ही एम.ई. का बी फेज की सी.टी. ओपन हुई, अतः ऐसी दशा में क्षतिग्रस्त एम.ई. की कीमत उपभोक्ता से वसूल की जानी है । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा फीडर के आवश्यक रख–रखाव के दौरान एम.ई. बुशिंग, एम.ई. के जम्पर एवं ऑईल लेवल चैक करने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं । प्रतिअपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि यदि एम.ई. की बुशिंग क्षतिग्रस्त होती, इन्सुलेशन रसिस्टेंट मानक स्तर का न होता एवं ऑईल मानक के अनुरूप न होता तो एम.ई. समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. की परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उपभोक्ता परिसर में फाल्ट आने के कारण ही एम.ई. की सी.टी. ओपन हुई । इन समग्र परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा नियमानुसार एम.ई. की कुल मूल्य लागत राशि 1,97,343/– पर नियमानुसार मूल्य ह्रास लागत राशि रू. 1,54,717/– की

अंतर राशि 42,690/— रू. उपभोक्ता से विद्युत देयक में समायोजित करने हेतु सूचित किया गया है । इन समग्र परिस्थितियों में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

09. इस अपील के विनिश्चय हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

क्या विद्वान फोरम द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किए जाने योग्य है ?

: सकारण निष्कर्ष :

10. वर्तमान प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन हेतु विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण—प्रथम) 2009 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह प्रावधान है कि क्षतिग्रस्त मीटर अथवा मीटरिंग संयंत्र का मूल्य उपभोक्ता से उसी दशा में वसूल किया जा सकता है जहां ऐसी क्षति के लिए उपभोक्ता की जिम्मेंदारी स्थापित कर दी जावे । उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटरिंग संयंत्र क्षतिग्रस्त होने पर ऐसी क्षति के कारण की जांच करने के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के लिए उपभोक्ता जिम्मेंदार है तो उसी दशा में एम.ई. की पूर्ण अवमूल्यित राशि की वसूली उपभोक्ता से की जा सकती है ।

11. अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण की ओर से फोरम के समक्ष अपने उत्तर में यह व्यक्त किया गया है कि उपभोक्ता के 33 के.वी. फीडर क्रमांक 6 पर फाल्ट दिनांक 24.08.2019 से एम.ई. क्षतिग्रस्त दिनांक 16.09.2019 तक फीडर पर विद्युत प्रदाय सतत् रूप से बना रहा । इस संबंध में कार्यपालन यंत्री (मीटर टेस्टिंग) उज्जैन द्वारा दिनांक 16.09.2019 को उपभोक्ता के परिसर में जाकर उपभोक्ता के मीटर एवं एम.ई. को चैक किया गया जिसमें स्थापित एम.ई. की सी.टी. की बी फेज ओपन पाई गई । कार्यपालन यंत्री (मीटर टेस्टिंग) उज्जैन की रिपोर्ट के आधार पर सहायक यंत्री (उच्च दाब) द्वारा मेसर्स हिन्द फिल्टर्स देवास को 1,97,343/— रू. का मांग पत्र जारी किया गया ।

12. जहां तक दिनांक 25.09.2019 को सहायक यंत्री (उच्च दाब संधारण) मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड देवास द्वारा कार्यपालन यंत्री (शहर) मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड देवास को 1,86,646/— रू. की प्राक्कलन राशि हेतु उपभोक्ता मेसर्स हिन्द फिल्टर्स को मांग पत्र जारी किए जाने संबंधी प्रस्ताव का प्रश्न है, उक्त पत्र में मात्र यह उल्लेख है कि उपभोक्ता की एम.ई. के बी फेज पर सी.टी. ओपन होने की जानकारी प्राप्त होने पर किए गए परीक्षण में यह पाया गया था कि उपभोक्ता के परिसर में

स्थापित एम.ई. से बी फेज पर करन्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, किन्तु उक्त पत्र में ऐसा लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि परीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि एम.ई. के बी. फेज पर सी.टी. का ओपन होना अथवा एम.ई. का क्षतिग्रस्त होना उपभोक्ता की किसी लापरवाही अथवा कृत्य का परिणाम हैं । दिनांक 25.09.2019 के पत्र में एमपीपीकेविविसीएल (एम.टी.) उज्जैन डिवीजन द्वारा दिनांक 16.09.20219 को उपभोक्ता के मीटर परीक्षण किए जाने का उल्लेख है । जहां तक दिनांक 16.09.2019 को एमपीपीकेविविसीएल (एम.टी.) उज्जैन द्वारा किए गए परीक्षण का प्रश्न है दिनांक 16.09.2019 की परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि उपभोक्ता के संयोजन को चैक करने पर यह पाया गया कि टी.टी.बी. के फेज बी पर करन्ट प्राप्त नहीं हो रहा था एवं बी फेज पर सी.टी. का टेम्पर आ रहा था । इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि एम.ई. खराब हो चुकी है अतः उसे बदलवाने का कष्ट करें । इस प्रकार दिनांक 16.09.2019 के परीक्षण रिपोर्ट से केवल यह प्रकट होता है कि परीक्षण करने पर एम.ई. क्षतिग्रस्त होना पाई गई किन्तु उक्त रिपोर्ट में ऐसा लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के लिए उपभोक्ता/अपीलार्थी किसी भी प्रकार से जिम्मेंदार हैं।

13. वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (एम.टी.) मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड उज्जैन द्वारा अधीक्षण यंत्री (ओ एण्ड एम) मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड देवास को प्रेषित पत्र 1251 दिनांक 16.12.2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मेसर्स हिन्द फिल्टर्स देवास की क्षतिग्रस्त एम.ई. का ए.ई. (एम.टी.) उज्जैन द्वारा दिनांक 03.12.2019 को परीक्षण किया गया जिसमें पी.टी. हेल्दी पाई गई, सी.टी. त्रुटिपूर्ण पाई गई, अतः सी.टी. के त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण एम.ई. की कास्ट उपभोक्ता से वसूली योग्य है । उक्त पत्र के साथ मेसर्स हिन्द फिल्टर्स देवास की क्षतिग्रस्त एम.ई. की परीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न है, जिसमें यह उल्लेख है कि परीक्षण के दौरान एम.ई. की बुशिंग जली पाई गई, एम.ई. की पी.टी. सही पाई गई एवं सी.टी. सर्किट त्रुटिपूर्ण पाई गई जिसमें बी. फेज में करन्ट प्रवाहित नहीं हो रहा था । दिनांक 16.12.2019 के साथ संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन दिनांकित 22.11.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवेदन में मात्र एम.ई. के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में मौके की भौतिक स्थिति दर्शाईं गई है किन्तु उक्त परीक्षण रिपोर्ट से ऐसा लेशमात्र भी दर्शित नहीं होता है कि सी.टी. के त्रुटिपूर्ण पाएं जाने अथवा बी फेज में करन्ट का प्रवाहित न होना उपभोक्ता मेसर्स हिन्द फिल्टर्स की किसी लापरवाही अथवा कृत्य का परिणाम था ।

14. प्रतिअपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा अपील के उत्तर में जोरदार तरीके से यह व्यक्त किया गया कि उपभोक्ता के परिसर में फाल्ट आने के कारण एम.ई. क्षतिग्रस्त हुई । इस संबंध में

अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. की परीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता के उपकेन्द्र परिसर में आए फाल्ट के कारण ही संयोजन पर स्थापित एम.ई. की सी.टी. का एक फेज ओपन पाया गया । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (मीटर परीक्षण) द्वारा अधीक्षण यंत्री (ओ एण्ड एम) एमपीपीकेविविसीएल देवास को प्रेषित पत्र क्रमांक 1251 दिनांक 16.12.2019 के साथ संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.11.2019 एवं दिनांक 25.09.2019 के पत्र क्रमांक 963 के साथ संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन दिनांकित 16.09.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों प्रतिवेदनों में ऐसा लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि उपभोक्ता के संयोजन की जांच करने पर उपभोक्ता के परिसर में किसी प्रकार का फाल्ट पाया गया है । ऐसी दशा में प्रतिअपीलार्थीगण/अनावेदकगण की ओर से अपील के प्रकरण से प्रस्तुत यह तर्क पूर्णतः सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है कि उपभोक्ता के परिसर में फाल्ट आने के परिणामस्वरूप एम.ई. क्षतिग्रस्त हुई ।

15. मेसर्स हिन्द फिल्टर्स देवास द्वारा फोरम के समक्ष दिनांक 21.02.2020 को यह अतिरिक्त अभिकथन किया गया था कि भारतीय विद्युत सुरक्षा रेगुलेशन 2010, रेगुलेशन 2012 के बिन्दु 4 एवं 6 के अनुसार ऐसे विद्युत उपकरणों जो 650 वोल्ट से अधिक विद्युत संधारित करते हैं उनके इन्सुलेशन रसिस्टेंट के संधारण एवं तेल के ब्रेकडाउन वेल्यू के लिए निश्चित अन्तराल पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है । उपभोक्ता के एम.ई. द्वारा 33000 वोल्टेज का संधारण किया जाता है किन्तु मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड द्वारा उनके एम.ई. का उपरोक्त परीक्षण नहीं किया गया । मेसर्स हिन्द फिल्टर्स द्वारा उठाए गए इस बिन्दु के संबंध में कार्यपालन यंत्री (शहर) मप्रपक्षेविविकं लिमिटेड देवास द्वारा दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत उत्तर में यह व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा फीडर का रख–रखाव दिनांक 02.10.2016, 06.10.2016, 19.03.2017, 11.04.2017, 23.04.2017, 24.09.2017, 03.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 23.12.2018, 22.11.2018, 19.09.2018, 12.03.2019 को किया गया है, जिसकी सूचना स्थापित उच्च दाब उपभोक्ता को दी गई है । उनके कार्यालय द्वारा इस चैकिंग के संबंध में विधिवत् संधारण किया गया है । इस संबंध में कार्यपालन यंत्री द्वारा मैसेज रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि फीडर रख–रखाव के दौरान एम.ई. बुशिंग, एम.ई. के जम्पर एवं ऑईल लेवल चैक करने जैसे महत्वूपर्ण कार्य किए जाते हैं ।

16. जहां तक प्रति–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मैसेज रजिस्टर की छायाप्रतियों का प्रश्न है उक्त सूचनाएं 33 एवं 11 के.वी. उच्चदाब औद्योगिक फीडर पर संधारित रजिस्टर के पन्नों की छायाप्रतियां हैं जिन पर अलग अलग शटडाऊन संबंधी सूचना हस्तलिखित है एवं नीचे संबंधित

उपभोक्ताओं का नाम एवं ऐसे उपभोक्ता प्रतिनिधियों का नाम दर्ज है जिनको सूचना दी जानी है अथवा दी गई है ।

एम.ई. के कथित रूप से किए गए मैंटेनेंस की सूचना दिनाकों के संबंधित नोटिस से निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है :–

33 के.वी. / 11 के.वी.	**शटडाऊन की अवधि**	**शटडाऊन का प्रयोजन**
02.10.2016	12.00 से 2.30 बजे (ढाई घण्टें)	पृष्टेज सोया कनेक्शन हेतु
05.09.2016	दोपहर 1.00 से 3.00 बजे (दो घण्टें)	पृष्टेज सोया कनेक्शन हेतु
06.10.2016	12.00 से 2.00 बजे (दो घण्टें)	मधुमिलन चौराहे पर आवश्यक सुधार कार्य हेतु
19.03.2017	10.00 से 1.00 बजे (तीन घण्टें)	132 के.वी. एम.एस.जी. उपकेन्द्र पर आवश्यक मैंटेनेंस कार्य
11.04.2017	7.00 से 12.00 बजे (पांच घण्टें)	प्री–मानसून मैंटेनेंस कार्य
30.04.2017	6.30 से 12.00 बजे (साढ़े पांच घण्टें)	प्री–मानसून मैंटेनेंस कार्य
24.09.2017	12.00 से 2.00 बजे (दो घण्टें)	आवश्यक मैंटेनेंस कार्य
25.10.2017	8.00 से 1.00 बजे (पांच घण्टें)	मानसून पश्चात् लाईन मैंटेनेंस कार्य
20.10.2018	6.00 से 6.30 बजे (आधा घण्टें)	पृष्टेज एग्रोटेक की एम.ई. के जम्पर हेतु
11.09.2018	8.00 से 12.00 बजे (चार घण्टें)	मानसून पश्चात् आवश्यक कार्य
22.11.218	12.00 से 2.00 बजे (दो घण्टें)	मेसर्स एरोटेक इंजीनियरिंग के नए कनेक्शन हेतु पोल इरेक्शन का कार्य
12.03.2019	7.00 से 12.00 बजे (पांच घण्टें)	मैंटेनेंस कार्य

03.10.2017	8.00 से 12.00 बजे (चार घण्टें)	मानसून पश्चात् आवश्यक मैंटेनेंस कार्य
23.12.2018	12.00 से 2.00 बजे (दो घण्टें)	मेसर्स एरोटेक इंजीनियरिंग में फाल्ट आने के कारण

17. ऊपर वर्णित विवरणों से यह स्पष्ट है कि उक्त विवरण विद्युत प्रदाय बन्द किए जाने के संबंध में दी गई सूचना से संबंधित है । लाईन के मैंटेनेंस कार्य के साथ–साथ 2 अथवा 3 घंटे की अल्प–अवधि में उच्च दाब उपभोक्ताओं की एम.ई. का सुचारू रूप से संधारण किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है । यहां यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि उक्त विवरण मैंटेनेंस की कथित सूचना मात्र हैं एवं इसके अंतर्गत वास्तव में उपभोक्ता मेसर्स हिन्द फिल्टर्स के संयोजन पर स्थापित एम.ई. का वास्तविक रूप से मैंटेनेंस किया गया इस संबंध में प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण की ओर से कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसा लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि उक्त जांच के समय ऑईल लेवल की जांच, बुशिंग की जांच एवं इन्सुलेशन प्रतिरोध के संबंध में जांच की गई थी । यदि प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण द्वारा उक्त जांच के समय आईल लेव चैकिंग एवं विद्युत उपकरण के इन्सुलेशन प्रतिरोध के मानक की जांच की गई तो आईल के ब्रेकडाउन वेल्यु एवं इन्सुलेशन प्रतिरोध का मान इन रिपोर्ट में अवश्य ही उल्लेखित होता । ऐसी दशा में इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण द्वारा अपीलार्थी के संयोजन की एम.ई. का पीरियोडिक इन्सपेक्शन किया गया ।

18. विद्वान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत उत्तर एवं अपील के प्रक्रम पर प्रस्तुत तर्क के दौरान सी.टी. के दोषपूर्ण होने के संबंध में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा जो संभावित कारण दर्शाएं गए हैं उन्हें नकारने का साहस प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया है। अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड उज्जैन मीटर परीक्षण संभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि मेसर्स हिन्द फिल्टर्स देवास की सी.टी. त्रुटिपूर्ण पाई गई एवं एम.ई. की बुशिंग जली पाई गई । पी.टी. सर्किट सही पाई गई किन्तु उक्त रिपोर्ट में ऐसा लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि बुशिंग के जलने एवं सी.टी. सर्किट के त्रुटिपूर्ण होने के लिए उपभोक्ता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जिम्मेंदार है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता परिसर में स्थापित सी.टी. के त्रुटिपूर्ण होने मात्र के आधार पर आवेदक को जिम्मेंदार ठहराया जाना उचित एवं नियम सम्मत नहीं है ।

19. उपभोक्ता के परिसर में स्थापित एम.ई. के खराब होने के आधार मात्र पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि उक्त एम.ई. के खराब होने के लिए उपभोक्ता जिम्मेंदार है । उपभोक्ता को जिम्मेंदार ठहराने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि सी.टी. का खुलना आवेदक के किसी सकारात्मक कार्य अथवा लापरवाही का परिणाम था, किन्तु इस तथ्य को स्थापित करने में प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण पूर्णतः विफल रहे हैं ।

20. विद्वान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में यह मौलिक तकनीकी सिद्धान्त उद्घृत किया गया है कि यदि विद्युत व्यवस्था में कोई त्रुटि कारित होती है तो उत्पादित त्रुटिपूर्ण करन्ट सिस्टम के विभिन्न अवयवों के माध्यम से ऊर्जा के स्त्रोत एवं त्रुटि के स्थान के मध्य प्रवाहित होता है एवं यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था में उपभोक्ता के परिसर में कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो ऐसी त्रुटि के लिए उपभोक्ता जिम्मेंदार होगा । विद्वान फोरम द्वारा उद्घृत ऊपर वर्णित मौलिक तकनीकी सिद्धान्त के संबंध में कोई विवाद नहीं है किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो 16.09.2019 की परीक्षण रिपोर्ट में एवं न 22.11.2019 को किए गए परीक्षण में ऐसा कोई निष्कर्ष दिया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई गई थी । ऐसी दशा में मात्र अनुमान एवं अटकलों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उपभोक्ता के परिसर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न हुई थी ।

21. ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009'' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उपभोक्ता से उसी स्थिति में जले मीटर/क्षतिग्रस्त मीटरिंग संयंत्र की कीमत वसूल की जा सकती है, जहां उपभोक्ता को ऐसी क्षति के लिए जिम्मेंदार ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता को मीटर अथवा मीटरिंग संयंत्र में कारित त्रुटि के लिए उत्तरदाई ठहराए बिना मात्र एम.ई. के दोषपूर्ण होने के आधार पर उपभोक्ता से दोषपूर्ण मीटर का मूल्य वसूल नहीं किया जा सकता । ऊपर वर्णित विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रति–अपीलार्थीगण/अनावेदकगण यह स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहते हैं कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित एम.ई. का क्षतिग्रस्त होना उपभोक्ता के किसी कृत्य अथवा लापरवाही का परिणाम था । विद्वान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009'' में वर्णित प्रावधान को पूर्णतः दृष्टि औझल करते हुए आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया गया है ।

22. ऊपर वर्णित विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रति–अपीलार्थी/अनावेदकगण द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. की क्षति के कारणों की पुष्टि किए बिना आवेदक अपीलार्थी से क्षतिग्रस्त एम.ई. की वसूली किया जाना मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा जारी ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) 2009'' के विपरीत है । ऐसी दशा में फोरम द्वारा क्षतिग्रस्त एम.ई. की क्षति के लिए उपभोक्ता/अपीलार्थी को उत्तरदायी ठहराए जाने संबंधी आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

23. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रति–अपीलार्थीगण/अनावेदकगण को आदेशित किया जाता है कि –

(अ) आवेदक/अपीलार्थी से जमा कराई गई क्षतिग्रस्त एम.ई. की अवमूल्यित राशि उसे वापस की जावे अथवा इस राशि का समायोजन उसके आगामी विद्युत देयकों में किया जावे ।

(ब) फोरम द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

(स) उभयपक्षों को आदेश की निःशुल्क प्रति प्रेषित हो और आदेश की एक प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल